न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 22 / 2021

दायरा दिनांक :— 08.10.2021

अपीलार्थीः—

1. सुखी बेवा हीरालाल, जाति सीरवी, निवासी रानीखुर्द, तहसील रानी जिला पाली।
2. राहुल पुत्र श्री हीरालाल, जाति सीरवी, निवासी रानीखुर्द, तहसील रानी जिला पाली।
3. मुकेश पुत्र श्री हीरालाल, जाति सीरवी, निवासी रानीखुर्द, तहसील रानी जिला पाली।
4. अनिता पुत्री श्री हीरालाल, जाति सीरवी, निवासी रानीखुर्द, तहसील रानी जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टः—

1. नगर पालिका रानीखुर्द जरिये अधिशाषी अधिकारी, रानी।
2. शेषाराम पुत्र श्री राजाराम, जाति सीरवी निवासी रानीखुर्द तहसील रानी जिला पाली।

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मतसिंह विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री दौलत मकवाना रेस्पोडेन्ट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधिशाषी अधिकारी रानी खुर्द के आदेश दिनांक 09.12.2015 के जरिये पट्टा संख्या 248 अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया, उसे निरस्त फरमावें।

निर्णय

दिनांक 17-2-2022

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रानीखुर्द के आदेश दिनांक 09.12.2015 के जरिये पट्टा संख्या 248 रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पक्ष में जारी किया, उस आदेश से व्यथीत होकर इस न्यायालय में पेश की, जो म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज की गई। रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया व नगर पालिका रानीखुर्द से इस संबंध में पत्रावली तलब की गई।
2. उभय पक्षकारान उपस्थित आये। अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि रानीखुर्द के खसरा नम्बर 81 रकबा 0.6700 हैक्टेयर भूमि पूर्व में मूल खातेदार राजाराम पुत्र चिमनाजी जाति सीरवी की खातेदारी एवं कब्जासुदा रही है उनके मरने के बाद कानूनी

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

वारिश 5 पुत्र व 1 पुत्री कन्या जीवित है जो अपने ससुराल रहती है। राजाराम के मरने के वक्त उसकी बेवा भूरीबाई जीवित थी, इस तरह इस खसरा नम्बर 81 में कानूनी रूप से हक बनता है। लेकिन इनको पक्षकार बनाये बिना खातेदारी में दर्ज कराये बिना, बिना बंटवाड़े के बाले बाले भाईयों ने बंटवाड़ा करना प्रकट किया, जबकि कानूनी रूप से पैतृक सम्पत्ति में अपीलाण्ट राहुल, मुकेश अनिता व सुखी जो भी हीरालाल के वारिश है, खातेदार हक रखते है, उनकी बिना सहमति के बंटवाड़ा हो नही सकता था, लेकिन रेस्पोडेण्ट ने उक्त कृषि भूमि को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने का आदेश हासिल कर लिया जो कानूनी रूप से गलत है।

3. अपीलाण्ट अधिवक्ता का यह भी तर्क है, अपीलाण्ट सुखी हीरालाल की बेवा है, राहुल, मुकेश अनिता हीरालाल की जायन्दा संतान है, जो इकरारनामा निष्पादित करना प्रकट किया है जो 60 बाई 229.50 अर्थात 13770 वर्गफीट है, जिसमें हीरालालजी के 60 बाई 62.50 अर्थात 3750 वर्गफीट वाणिज्यक उपयोग के लिए इकरारनामा लिखा गया, जिस पर तथाकथित शेषाराम अपने हक हिस्से में जमींन हीरालाल से गलत तौर पर बेचाण भी प्रकट किया है जो ऐसा बेचाण अनरजिस्टर्ड है, ज्यादा से ज्यादा इकरारनामा ही है और ऐसा इकरारनामा का स्टाम्प भी चम्पालाल के हस्ते खरीदा हुआ है, जिसमें न तो साखे है, न ही हस्ताक्षर सत्यापित है और वो भी 20 बाई 20 जमींन के इकरारनामा की लिखत है, ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेषाराम ने नगर परिषद् से सांठ गांठ करके मौके पर अपीलाण्ट के कब्जे की दुकान नं. 8 है उसका पट्टा 20 बाई 37 वर्गफीट का बना दिया है, जबकि मौके पर यह दुकान 20 बाई 20 की है। इस तरह मौके की स्थिति अनुसार इकरारनामा के प्रतिकूल जाकर गलत पट्टा बनाया है, जो निरस्त करना विधिवत् है। मौके पर आज भी कब्जा अपीलाण्ट का है, चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है, पीलर भी बना रखे है। इससे पहले अपीलाण्ट द्वारा मौके पर कांटो की बाड कर रखी थी, जिसको रेस्पोडेण्ट शेषाराम जला दी थी, जिसकी इत्तला भी पुलिस थाना रानी में दी, उसके बाद अपीलाण्ट ने मौके पर पीलर खड़े कर तारबन्दी कर रखी थी।

4. यह हैं कि अपीलाण्ट ने उक्त आदेश के बारे में तारीख 20.09.2021 को जानकारी होना जाहिर किया कि रेस्पोडेण्ट शेषाराम ने बाड़ को उस वक्त जला दिया, जब थाने जाना पड़ा, जहां पर शेषाराम ने इस जमींन का पट्टा अपने नाम से नगर पालिका रानी से पट्टा प्राप्त करना जाहिर किया।

5. विद्वान रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का मुख्य तर्क यह रहा कि इस न्यायालय को उक्त अपील सुनने का अधिकार नही है। जिस संबंध में लिखित में आपत्ति पेश की, जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2021 को अलग से कर दिया गया है, जिससे व्यथीत होकर रेस्पोडेण्ट संख्या ने इस आदेश के विरूद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

नही की है, इसलिये यह नही कहा जा सकता है कि इस न्यायालय को क्षैत्राधिकार नही है। आगे रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस न्यायालय से यह भी निवेदन किया कि मौके पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा है तथा बेचाण व बंटवाड़े के आधार पर पट्टा बनवाया है जो नियमानुसार है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

6. रहा प्रश्न म्याद बिन्दु संबंधी जो मौके पर अपीलाण्ट के कब्जे भूमि पर रेस्पोडेण्ट शेषाराम द्वारा आकर आग जलाना व थाने में अपीलाण्ट द्वारा रिपोर्ट देने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा उक्त आदेश संबंधी, पट्टे सबंधी जानकारी दी, जिस पर अपीलाण्ट को जानकारी हुई, इसके विरूद्ध में इसके खण्डन हेतु रेस्पोडेण्ट का कोई समुचित न तो कोई जवाब दिया, न ही विधिवत् कोई खण्डन ही किया है, ऐसी सूरत में **अपीलाण्ट** की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायसंगत समझता हूँ।

7. उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। यह बात निर्विवादित है कि उक्त भूमि पूर्वजों के खातेदारी कब्जे की रही है, जिसका विधिवत् सभी पक्षकारों के बीच बंटवाड़ा नही है और न ही अपीलाण्ट की सहमति है। पट्टा भी 20 बाई 37 फीट का बनाया है जबकि इकरारनामा के अवलोकन से 20 बाई 20 का ही लिखत है। यह ही नही स्टाम्प भी अपीलाण्ट या अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 के पिता द्वारा खरीदा हुआ भी नही है। केवल इकरारनामा के आधार पर विधिवत् हक से अपीलाण्ट को वचित नही किया जा सकता। इकरारनामा कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड भी नही है, न ही रजिस्टर्ड बेचाण है। इस तरह का अवलोकन करने पर पत्रावली में सारी कार्यवाही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से सांठ गांठ करके पट्टा हासिल किया है जो कानूनी रूप से कायम रखना मै, उचित नही समझता है।

8. इस तरह अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 शेषाराम के पक्ष में नगर पालिका रानीखुर्द के द्वारा तारीख 09.12.2015 के जरिये पट्टा संख्या 248 जारी किया है, उसे अपास्त किया जाता है तथा निर्णय की प्रति अधिशाषी अधिकारी रानीखुर्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देषित किया जाता हैं प्रकरण में समस्त दस्तावेजों व सरकार द्वारा जारी परिपत्रों व आदेशों के परिपेक्ष में नियमानुसार पुनः पट्टे की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड आदेश के साथ नगर पालिका रानीखुर्द को लौटाया जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)